

अचल सम्पत्ति का बाजारमूल्य
संगणना हेतु

गाईड लाईन
वर्ष 2010–2011

जिला–मण्डला(मध्यप्रदेश)

प्रारूप—एक
(नियम—7 देखिये)
भूखण्ड हेतु उपबन्ध, वर्ष 2010—11

(01)

1. भूखण्ड कार्नर पर स्थित होने पर भूखण्डों हेतु निर्धारित सामान्य मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य मान्य किया जावेगा।
2. भूखण्ड में नीव भरी होने पर भूखण्ड हेतु निर्धारित सामान्य मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य मान्य किया जावेगा। यदि ऐसा भूखण्ड कार्नर पर स्थित है, तो सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक मूल्य मान्य किया जावेगा।
3. खुली छत के पृथक अंतरण होने पर उस क्षेत्र में स्थित भूखण्ड का 70 प्रतिशत मूल्य मान्य किया जावेगा।
4. शहरी क्षेत्र में भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जावेगा :-
(4.1) नगरनिगम क्षेत्र इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में तथा गाईड लाईन में उक्त प्रावधान हेतु विशिष्ट रूप से उल्लिखित ग्रामों में भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जावेगा :-

स. क.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	विकसित भूखण्ड	अविकसित भूखण्ड तथा कृषि भूमि जिसका मास्टर प्लान में उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक हो	कृषि भूमि के भूखण्ड तथा कृषि भूमि जिसका मास्टर प्लान में उपयोग आवासीय या वाणिज्यिक से इतर हो
1	2	3	4	5
(अ)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.10 हे. अथवा इससे कम हो,	निर्धारित भूखण्ड की दर से	निर्धारित भूखण्ड की दर का 90 प्रतिशत	निर्धारित भूखण्ड की दर का 80 प्रतिशत
(ब)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.10 हे. से अधिक किंतु 0.40 हे. तक	निर्धारित भूखण्ड की दर से	कृषि भूमि के मूल्य का तीन गुना किन्तु यह मूल्य "अ" से कम नहीं होगा	कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना किन्तु यह मूल्य "अ" से कम नहीं होगा
(स)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.40 हे. से अधिक हो,	निर्धारित भूखण्ड की दर से	कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना किन्तु यह मूल्य "ब" से कम नहीं होगा	कृषि भूमि के मूल्य के अनुसार किन्तु यह मूल्य "ब" से कम नहीं होगा

- (1.1) कृषि भूमि तब मान्य की जावेगी, जब दस्तावेज के साथ भू-अधिकार एवं ऋण-पुस्तिका एवं खसरे की प्रति प्रस्तुत की गई हो।
- (1.2) ऐसे क्षेत्रों में विकसित भूखण्ड की दरें ही मान्य की जाएंगी, जिन क्षेत्रों में 100 मी. की सीमा में पानी, बिजली एवं सड़क की सुविधा उपलब्ध हो।

जिला पंजीयक/संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, मध्यप्रदेश

प्रारूप-एक
(नियम-7 देखिये)
भूखण्ड हेतु उपबन्ध, वर्ष 2010-11

(02)

- (4.2) इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के निवेश क्षेत्र के ग्राम जो कंडिका 4.1 के अंतर्गत नहीं आते हैं, तथा शेष नगर निगमों की सीमा में स्थित एवं गार्ड लाईन में उक्त प्रावधान हेतु विशिष्ट रूप से उल्लेखित ग्रामों में भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा :-

स. क.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	विकसित भूखण्ड	व्यपवर्तित कृषि भूमि के भूखण्ड	अव्यपवर्तित कृषि भूमि के भूखण्ड
1	2	3	4	5
(अ)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.05 हे. अथवा इससे कम हो	निर्धारित भूखण्ड की दर से	निर्धारित भूखण्ड की दर से 90 प्रतिशत	निर्धारित भूखण्ड की दर से 80 प्रतिशत
(ब)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.05 हे. से अधिक किन्तु 0.40 हे. तक	निर्धारित भूखण्ड की दर से	कृषि भूमि के मूल्य का तीन गुना किन्तु यह मूल्य "अ" से कम नहीं होगा	कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना किन्तु यह मूल्य "अ" से कम नहीं होगा
(स)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.40 हे. से अधिक हो	निर्धारित भूखण्ड की दर से	कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना किन्तु यह मूल्य "ब" से कम नहीं होगा	कृषि भूमि के मूल्य के अनुसार किन्तु यह मूल्य "ब" से कम नहीं होगा

- (4.3) नगरपालिका क्षेत्र एवं नगरपालिका क्षेत्र से लगे समीपस्थ ग्राम-बिड़िया, देवदरा, कटरा, खैरी एवं निवारी में भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा :-

स. क.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	विकसित भूखण्ड	व्यपवर्तित कृषि भूमि के भूखण्ड	अव्यपवर्तित कृषि भूमि के भूखण्ड
1	2	3	4	5
(अ)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.05 हे. अथवा इससे कम हो	निर्धारित भूखण्ड की दर से	निर्धारित भूखण्ड की दर का 90 प्रतिशत	निर्धारित भूखण्ड की दर का 80 प्रतिशत
(ब)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.05 हे. से अधिक किन्तु 0.20 हे. तक	निर्धारित भूखण्ड की दर से	कृषि भूमि के मूल्य का तीन गुना किन्तु यह मूल्य "अ" से कम नहीं होगा	कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना किन्तु यह मूल्य "अ" से कम नहीं होगा
(स)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.20 हे. से अधिक हो	निर्धारित भूखण्ड की दर से	कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना, किन्तु यह मूल्य "ब" से कम नहीं होगा	कृषि भूमि के मूल्य के अनुसार किन्तु यह मूल्य "ब" से कम नहीं होगा

जिला पंजीयक / संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, मध्य प्रदेश

प्रारूप—एक
(नियम—7 देखिये)

(03)

भूखण्ड हेतु उपबन्ध, वर्ष 2010-11

(4.4) नगरपंचायत क्षेत्र एवं गार्ड लाईन में विशिष्ट रूप से उल्लेखित ग्रामों में भूमि का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा :-

स. क्र.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	विकसित भूखण्ड	व्यपवर्तित कृषि भूमि के भूखण्ड	अव्यपवर्तित कृषि भूमि के भूखण्ड
1	2	3	4	5
(अ)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.05 हे. अथवा इससे कम हो,	निर्धारित भूखण्ड की दर से	निर्धारित भूखण्ड की दर का 90 प्रतिशत	निर्धारित भूखण्ड की दर का 80 प्रतिशत
(ब)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.05 हे. से अधिक किन्तु 0.10 हे. तक,	निर्धारित भूखण्ड की दर से	कृषि भूमि के मूल्य का तीन गुना किन्तु यह मूल्य "अ" से कम नहीं होगा	कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना किन्तु यह मूल्य "अ" से कम नहीं होगा
(स)	जब भूखण्ड का क्षेत्रफल 0.10 हे. से अधिक हो,	निर्धारित भूखण्ड की दर से	कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना किन्तु यह मूल्य "ब" से कम नहीं होगा	कृषि भूमि के मूल्य के अनुसार किन्तु यह मूल्य "ब" से कम नहीं होगा

- ऐसे क्षेत्र जिनके मूल्य गार्ड लाईन में निर्धारित नहीं किए गए अथवा छूट गए हैं, उनके संबंध में जिला पंजीयक, जिला मूल्यांकन समिति से प्रस्ताव तैयार कराकर अनुमोदन हेतु महानिरीक्षक पंजीयन को प्रस्तुत करेंगे। इन क्षेत्रों के लिए गार्ड लाईन मूल्य वर्ष के दौरान पृथक से जारी किये जा सकेंगे।
- यदि किसी संपत्ति के विषय में एक से अधिक दर निकलने का आशय बनता है, तो उसमें जो भी दर अधिकतम होगी, वह मान्य की जावेगी।
- मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा-3 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित, गंदी बस्तियों में 450 व.फु. तक के भूखण्डों का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित दर से 50 प्रतिशत कम किया जाएगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूखण्ड का मूल्य भूखण्ड के सामान्य मूल्य से 100 प्रतिशत अधिक, राज्य मार्ग पर स्थित भूखण्ड का मूल्य, भूखण्ड के सामान्य मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक एवं जिला मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क स्थित भूखण्ड का मूल्य, भूखण्ड के सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक माना जाएगा, किन्तु जहाँ उक्त मार्गों पर स्थित भूखण्ड का मूल्य पृथक से निर्धारित है, वहाँ उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। समस्त भूखण्ड, जो अंशतः मुख्य मार्ग से 6 मीटर की दूरी में आते हैं, को मुख्य मार्ग से लगा हुआ माना जाएगा।
- शहर विकास योजना में जिन भूखण्डों का प्रयोजन व्यावसायिक नियत है, उनका मूल्यांकन व्यावसायिक भूखण्ड के मान से किया जाएगा। अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में 6 मीटर (20 फुट) तक व्यावसायिक मान से तत्पश्चात् वास्तविक उपयोग के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

जिला पंजीयक/संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, म.प्र.

कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, म.प्र.

उप पंजीयक कार्यालय, मण्डला

मुख्य रोड (शहरी क्षेत्र)

व्यावसायिक :-

1. चिलमन चौक से डिण्डौरी नाका
2. चिलमन चौक से बिंझिया नाका
3. चिलमन चौक से कमनिया तथा बुधवारी चौक
4. चिलमन चौक से बड चौराहा तथा अर्चना गैरेज
5. बड चौराहा से बंजर चौराहा तथा आगे महाराजपुर रेल्वे स्टेशन तिराहे से महाराजपुर नाके तक
6. हॉस्पिटल रोड से फव्वारा तक
7. लालीपुर चौक से बंजर क्लब चौराहा तक

मुख्य रोड (रिहायशी) :-

1. डिण्डौरी नाका से कॉलेज तक
2. बिंझिया नाका से कटरा तक
3. अर्चना ट्रांसपोर्ट से (पुरानी डिण्डौरी रोड) खैरी तक
4. गाडाखाना चौराहा से बुधवारी रोड तक
5. कमनिया से कोष्टा मोहल्ला रोड तक
6. बंजर क्लब से कलेक्टोरेट तथा सहकारी बैंक से नानाघाट तक
7. बंजर चौराहा से संगम तथा घंसौर रोड तक
8. घंसौर रोड से स्टेशन तक
9. हनुमान मंदिर रोड
10. मस्जिद रोड
11. नेहरू स्मारक से आगे (देवदरा)
12. देवदरा से मुख्य रोड.
13. हॉस्पिटल चौराहा से नावघाट रोड
14. महाराजपुर में स्कूल चौराहा तथा डॉ. चांदोलकर के मकान से चौराहे जाने वाली संगम वाली रोड

अन्य रोड : -

1. पौंडी, अंजनिया, बिछिया, सिझौरा, फोंक (रायपुर रोड)
2. बम्हनी (सिवनी रोड)
3. बिनैका रोड (बिनैका)
4. मानादेई रोड (महाराजपुर)
5. रामनगर, घुघरी (घुघरी रोड)
6. घुटास (मवई)
7. सागर फूलसागर (जबलपुर रोड)

जिला पंजीयक / संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, मध्यप्रदेश

तहसील मुख्यालय-निवास के लिये गार्ड लाइन, वर्ष 2010-2011 में बाजार मूल्य संगणना हेतु

निर्देश

गार्ड लाइन, वर्ष 2010-2011 में तहसील मुख्यालय-निवास के लिये प्रारूप-एक एवं प्रारूप-दो में निवास बाजार क्षेत्र {मध्य क्षेत्र} में दर्शित खली भूखण्ड एवं निर्मित संपत्ति की दरें, जो पृष्ठ क्रमांक-12 एवं पृष्ठ क्रमांक-25 में दर्शित हैं, के संबंध में प्रस्तावानुसार, व्यावसायिक क्षेत्र की सीमाएँ निम्नानुसार होगी : -

{1} निवास के अन्तर्गत संपूर्ण बस स्टैण्ड का क्षेत्र, जो कि : -

- अ - निवास से शहपुरा मार्ग पर तालाब तक,
- ब - निवास से हीरापुर मार्ग पर खेरमाई मोहल्ला तक,
- स - निवास से मण्डला रोड पर लोक निर्माण विभाग कार्यालय तक,
- द - निवास से जबलपुर रोड पर सिविल लाईन का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं नजूल भूमि क्षेत्र।

{2} बाजार क्षेत्र {मध्य क्षेत्र} में बस स्टैण्ड को केन्द्र मानते हुये 500 मीटर तक के क्षेत्र में स्थित संपत्ति का मूल्यांकन, निम्न सीमाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक क्षेत्र में मानते हुये किया जायेगा : -

- क - पूर्व में किसन सिन्धी की दुकान तक,
- ख - पश्चिम में वर्तमान जनपद कार्यालय तक,
- ग - उत्तर में संजय जायसवाल की दुकान तक,
- घ - दक्षिण में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय तक,

उपरोक्तानुसार सीमान्तर्गत स्थित अचल संपत्ति का मूल्य, व्यावसायिक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाकर संगणित किया जायेगा।

जिला पंजीयक/संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, मध्य प्रदेश

प्रारूप-दो
(नियम-7 देखिये)
भवनों हेतु उपबंध, वर्ष 2010-11

(16)

1. 20 वर्ष से अधिक पुराने बने मकानों, दुकानों एवं फ्लेटों में 10 प्रतिशत तथा 50 वर्ष से अधिक पुराने बने मकानों में 20 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। 20 वर्ष से अधिक पुरानी बनी दुकानों एवं फ्लेटों में 10 प्रतिशत छूट दी जावेगी।
2. बहुमंजिला भवनों में जहाँ प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम के प्रावधान लागू हैं, वहाँ बाजार मूल्य की गणना बिल्ट-अप एरिया के आधार पर की जावेगी।
3. आवासीय बहुमंजिला भवनों में तल अनुसार निम्नानुसार मूल्यांकन किया जावेगा :-
 - (अ) तलघर (ढेंमउमदज) एवं प्रथम मंजिल पर स्थित भवन/फ्लेट - तल मंजिल पर स्थित भवन/फ्लेट के मूल्य से 5 प्रतिशत कम,
 - (ब) द्वितीय मंजिल पर स्थित भवन/फ्लेट - तल मंजिल पर स्थित भवन/फ्लेट का 10 प्रतिशत कम,
 - (स) अन्य मंजिलों पर स्थित भवन/फ्लेट - तल मंजिल पर स्थित भवन/फ्लेट का 15 प्रतिशत कम
4. व्यावसायिक बहुमंजिला भवनों में तल अनुसार निम्नानुसार मूल्यांकन किया जावेगा:-
 - (अ) तलघर (ढेंमउमदज) एवं प्रथम मंजिल पर स्थित संपत्ति - तल मंजिल पर स्थित संपत्ति के मूल्य से 25 प्रतिशत कम
 - (ब) द्वितीय मंजिल पर स्थित संपत्ति - तल मंजिल पर स्थित संपत्ति के मूल्य से 40 प्रतिशत कम
 - (स) तृतीय मंजिल पर स्थित संपत्ति - तल मंजिल पर स्थित संपत्ति के मूल्य से 50 प्रतिशत कम
 - (द) चतुर्थ एवं इसके ऊपर मंजिल पर स्थित संपत्ति - तल मंजिल पर स्थित संपत्ति के मूल्य से 60 प्रतिशत कम

किसी भी स्थिति में किसी भी मंजिल पर स्थित व्यावसायिक संपत्ति का मूल्य आवासीय संपत्ति के मूल्य से कम नहीं होगा। बहुमंजिले व्यावसायिक भवनों में संपत्ति के शहर की सड़कों से लगी हुई न होने पर सामान्य से 15 प्रतिशत कम दरों पर मूल्यांकन किया जावेगा।
5. यदि एक दस्तावेज द्वारा किसी भवन की प्रथम एवं तल मंजिल को पृथक-पृथक विक्रय किया जाता है, तो तल मंजिल के विक्रय में भूखण्ड के मूल्य का 80 प्रतिशत एवं प्रथम एवं उसके उपर की मंजिलों में भूखण्ड के मूल्य से 70 प्रतिशत की दर से भूखण्ड का मूल्यांकन किया जावेगा।

जिला पंजीयक/संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, मध्य प्रदेश

प्रारूप-दो
(नियम 7 देखिये)
भवनों हेतु उपबंध, वर्ष 2010-11

(17)

6. व्यावसायिक क्षेत्र में 6 मीटर (20 फुट) तक व्यावसायिक मान से, तत्पश्चात् वास्तविक उपयोग के आधार पर मूल्यांकन किया जावेगा।
7. यदि एक दस्तावेज द्वारा दो या अधिक मंजिल भवन (प्रकोष्ठ अधिनियम से अन्यथा) का विक्रय एक ही क्रेता को किया जाता है, तो भूमि के मूल्य की गणना प्रत्येक तल के लिए पृथक से नहीं की जाएगी, अपितु एक बार ही सम्मिलित की जावेगी। क्रेता भिन्न व्यक्ति होने पर कंडिका-5 के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।
8. औद्योगिक ईकाइयों के मूल्यांकन में आवासीय निर्माण हेतु नियत दरों का 60 प्रतिशत आंका जावेगा।
9. मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा-3 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित गंदी बस्तियों में 300 वर्गफुट तक के भवनों का मूल्यांकन उस क्षेत्र हेतु निर्धारित दर से 50 प्रतिशत कम किया जाएगा।
10. ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित भवनों की दरें मास्टर प्लान एवं अर्बन एग्लोमरेशन क्षेत्र के बाहर के ग्रामों में लागू होंगे।
11. जहाँ फ्लैट के मूल्य पृथक से नियत नहीं है, संपत्ति फ्लैट के रूप में विक्रय होने पर स्वतंत्र बने मकानों के मूल्य का 90 प्रतिशत मूल्य मान्य किया जाएगा।

जिला पंजीयक/संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, म.प्र.

कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, म.प्र.

प्रारूप – तीन
(नियम 7 देखिये)
कृषि भूमि हेतु उपबंध, वर्ष 2010-11

(29)

1. ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित भूमि का मूल्य कृषि भूमि के सामान्य मूल्य से 100 प्रतिशत अधिक, राज्य मार्ग पर स्थित भूमि का मूल्य कृषि भूमि के सामान्य मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक, जिला मार्ग, प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्मित एवं अन्य पक्की सड़क पर स्थित भूमि का मूल्य कृषि भूमि के सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक माना जावेगा, किन्तु जहाँ सड़क पर स्थित भूमि का मूल्य पृथक से निर्धारित है, वहाँ उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। समस्त भूमि जो अंशतः सड़क से 20 मीटर तक की दूरी में आते हैं, को सड़क से लगा हुआ माना जाएगा।
2. निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामीण क्षेत्र में 0.05 हे. से अधिक व्यपवर्तित भूमि (आवास, उद्योग एवं अन्य उपयोग हेतु) का मूल्यांकन कृषि भूमि के मूल्य का दो गुना किया जाएगा।
3. मुख्य खनिज उत्खनन (गौण खनिज छोड़कर) के उपयोग हेतु तय की गई भूमि का मूल्यांकन सिंचित कृषि भूमि के मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक किया जावेगा।
4. जब कृषि भूमि के विभिन्न भू-स्वामियों (जो सहखातेदार न हों) द्वारा मिलकर एक दस्तावेज द्वारा भूमि का विक्रय किया जाता है अथवा विभिन्न पक्षकारों (जो एक ही परिवार के सदस्य न हों) द्वारा क्रय किया जाता है, तो पृथक-पृथक संव्यवहार मानकर, भूखण्ड के उपबंध की कंडिका-4 अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। परिवार की परिभाषा में माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, पुत्रवधु, दादा, दादी, पौत्र, पौत्री, सास एवं बहू सम्मिलित रहेंगे।
5. ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि असिंचित दो फसली होने पर असिंचित एक फसली की दर से 25 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन किया जाएगा।
6. सिंचित भूमि के मूल्यांकन में कुँए, ट्यूबवेल आदि का मूल्य पृथक से नहीं जोड़ा जाएगा।
7. वृक्षों की मोटाई (परिधि) 45 से.मी. से अधिक होने पर इमारती वृक्ष का मूल्य 10,000=00 फलदार वृक्ष का 5,000=00 एवं मिश्रित वृक्ष का 2,500=00 रूपये प्रति वृक्ष आंका जावे। जिन वृक्षों की मोटाई (परिधि) 45 से.मी. से कम हो, उनका मूल्य 1,000=00 रूपये प्रति वृक्ष आंका जावे।
8. कुँआ एवं मोटर पंप (पंप हाउस) तथा ट्यूबवेल की कीमत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

अ.	पक्का कुँआ	—	20,000=00 रूपये
ब.	कच्चा कुँआ	—	10,000=00 रूपये
स.	डीजल पंप	—	15,000=00 रूपये
द.	मोटर पंप/पंप हाउस	—	25,000=00 रूपये
इ.	ट्यूबवेल	—	52,000=00 रूपये

जिला पंजीयक/संयोजक
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, म.प्र.

कलेक्टर/अध्यक्ष
जिला मूल्यांकन समिति,
मण्डला, म.प्र.